

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-1952/2013

दिनांक 08/08/16

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- सिकन्दरपुर चा०-02, थाना सं०- 105, अंचल-दनियावां, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 0.205 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.205 एकड़ है और जो मौजा- सिकन्दरपुर चा०-02, थाना सं०-105, अंचल-दनियावां, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	114	1171	रैयती	धनहर	0.10	श्री नरेश राम पिता स्व० जुदागी राम, सा०- मकसूदपुर, सिकन्दरपुर	1147 अंश	1171 अंश	1170 अंश	1172 अंश
2	114	1172	रैयती	धनहर	0.105	1) उर्मिला देवी पति हरदेव सिंह, सा०- मकसूदपुर 2) राम बालक सिंह पिता द्वारिका सिंह, सा०- सिकन्दरपुर	1147 अंश	1172 अंश	1171 अंश	1173 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

So-

समाहर्ता,
पटना।

60

ज्ञापांक सं०- 1957/78 अमन

दिनांक: 08/08/16.....

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

५६/१

समाहर्ता,
पटना